दांडिक अपील क्रमांक 1122/1991 एवं दांडिक अपील क्रमांक 162/1992

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

खंडपीठ : माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधीश एवं

माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायधीश

दांडिक अपील क्रमांक 1122/1991

मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़)

बनाम

अयान सिंह (और संबंधित दांडिक अपील क्रमांक 162/1992)

निर्णय

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विचारार्थ

सही/-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायधीश

माननीय श्री राजीव गुप्ता

मैं सहमत हूँ

सही/-

मुख्य न्यायधीश

निर्णय घोषित किए जाने हेतु दिनांक 27-04- 2010 को सूचीबद्ध करे ।

सही/-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

खंडपीठ : माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधीश एवं

माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायधीश

दांडिक अपील क्रमांक 1122/1991

अपीलकर्ता मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़)

बनाम

प्रत्यर्थी अयान सिंह (अपील ज्ञापन के वाद-शीर्षक में गलती से अमन सिंह के रूप में उल्लिखित) पिता शंकरलाल, उम्र 19 वर्ष, निवासी कुहीखुर्द, थाना छुरिया, जिला- राजनंदगांव (मध्य प्रदेश) (वर्तमान छत्तीसगढ़)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 377 के अंतर्गत अपील)

दांडिक अपील क्रमांक 162/1992

अपीलकर्ता मध्य प्रदेश राज्य (अब छत्तीसगढ़)

बनाम

प्रत्यर्थी अयान सिंह (अपील ज्ञापन के वाद-शीर्षक में गलती से अमन सिंह के रूप में उल्लिखित) पिता शंकरलाल, उम्र 19 वर्ष, निवासी कुहीखुर्द, थाना छुरिया, जिला- राजनंदगांव (मध्य प्रदेश) (वर्तमान छत्तीसगढ़)

(दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 378 (1) के अंतर्गत अपील)

उपस्थिति:

श्री प्रवीण दास, उप-शासकीय अधिवक्ता, अपीलकर्ता/राज्य की ओर से।

श्री पी.के.सी. तिवारी, वरिष्ठ अधिवक्ता, सह श्री शशि भूषण और श्री सुनील साहू, प्रत्यर्थी की ओर से।

<u>निर्णय</u>

(27-04-2010)

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय सुनील कुमार सिन्हा, न्यायधीश द्वारा सुनाया गया:

(1) राज्य सरकार ने सत्र न्यायाधीश, राजनांदगांव द्वारा सत्र परीक्षण क्रमांक 46/91 में पारित दिनांक 19-09-1991 के निर्णय के विरुद्ध ये अपीलें दायर की हैं। सत्र न्यायाधीश ने प्रत्यर्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत दोषमुक्त करते हुए, उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 450 के तहत दोषी ठहराया और एक वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(2) दांडिक अपील क्रमांक 1122/1991, भारतीय दंड संहिता की धारा 450 के अंतर्गत दी गई सजा में वृद्धि के लिए दायर की गई है, जबकि धारा 376 के अंतर्गत दोषमुक्त किये जाने के निर्णय के विरुद्ध दांडिक अपील क्रमांक 162/1992 दायर की गई है।

(3) संक्षेप में बताए गए तथ्य इस प्रकार हैं: -

प्रत्यर्थी पर धारा 450 और 376 के अंतर्गत आरोप लगाया गया था। आरोप यह है कि 25-26 अगस्त 1990 की मध्य रात्रि में, प्रत्यर्थी अभियोक्त्री के घर में घुस आया और उसके साथ जबरन संभोग किया। अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि घटना के समय 26-08-1990 को प्रातः लगभग 3.00 बजे, अभियोक्त्री अपने घर में अकेली थी क्योंकि उसके पति और सास गणेश उत्सव के अवसर पर नाच देखने गए थे। अभियोक्त्री के अनुसार, उसने शोर मचाया,

जिस पर पड़ोस का शत्रुहन (आ.सा. -7) भी वहाँ आ गया और उसने प्रत्यर्थी को अभियोक्त्री के घर से भागते हुए देखा। अभियोक्त्री की सास कला बाई (आ.सा. -2) गाँव की कोटवार थी। सुबह अभियोक्त्री ने अपनी सास को पूरी कहानी सुनाई। इसके बाद देहाती (प्रदर्श पी /1) दर्ज की गई। जिसके आधार पर, प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श -पी/1-ए) दर्ज की गई। अभियोक्त्री को उसकी चिकित्सीय जाँच के लिए भेजा गया। दिनांक 26-09-1990 को डॉ. (श्रीमती) सुषमा गुप्ता (आ.सा. -9) ने उसकी जाँच की। उसने अपनी रिपोर्ट प्रदर्श -पी/6 दी। एम.एल.सी. रिपोर्ट के अनुसार, अभियोक्त्री के शरीर पर कोई चोट नहीं पाई गई। उसके गुप्तांग पर कोई बाहरी चोट नहीं देखी गई। महिला डॉक्टर की रिपोर्ट अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं करती थी। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों की गहन जाँच के बाद, प्रत्यर्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत दोषमुक्त कर दिया। हालाँकि, उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 450 के तहत दोषी ठहराया गया और एक वर्ष के लिए सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(4) अपीलकर्ता/राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान उप-शासकीय अधिवक्ता श्री प्रवीण दास ने तर्क दिया कि विद्वान सत्र न्यायाधीश ने यह मानकर विधिक त्रुटि की कि अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर सका कि प्रत्यर्थी ने अभियोक्त्री के साथ जबरन संभोग किया। उन्होंने आगे तर्क दिया कि धारा 450 के तहत दी गई सजा अपर्याप्त है।

(5) दूसरी ओर, प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पी.के.सी. तिवारी ने इन तर्कों का विरोध किया। धारा 376 के तहत दोषमुक्त किए जाने का समर्थन करते हुए, उन्होंने तर्क दिया कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार

पर, धारा 450 के तहत कोई अपराध नहीं बनता है, इसलिए, प्रत्यर्थी धारा 450 के तहत भी दोषमुक्त किए जाने का हकदार है।

(6) हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना है और सत्र प्रकरण के अभिलेखों का भी अवलोकन किया है।

(7) अभियोकत्री (आ.सा. -1) ने बयान दिया कि "उसकी हाल ही में प्रकाश कुमार से शादी हुई थी और वह उसके साथ उसके घर में रह रही थी। प्रत्यर्थी उसे अच्छी तरह से जानता था क्योंकि दोनों एक ही गाँव के निवासी थे। घटना के दिन, उसकी सास सहित उसके परिवार के सदस्य गणेश उत्सव के अवसर पर गाँव में आयोजित नाच-गाने के कार्यक्रम में गए हुए थे। वह अंदर से दरवाजा बंद करके अपने घर में सो रही थी। लगभग 3-4 बजे सुबह, प्रत्यर्थी उसके घर में घुस आया। उसने लाइट बंद कर दी। इसके

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बाद उसने उसे जगाया। उसने शोर मचाया, लेकिन कोई नहीं आया और प्रत्यर्थी ने उसके साथ जबरन लैंगिक संभोग किया । जब प्रत्यर्थी उसके घर से भाग रहा था, तो उसके चिल्लाने पर उसका पड़ोसी शत्रुहन (आ.सा. - 07) वहाँ आ गया। उसने प्रत्यर्थी को उसके घर से भागते हुए देखा। उसने शत्रुहन (आ.सा. -07) को सारी बात बताई।" उसने अपनी जिरह के कंडिका 19 में स्वीकार किया कि शत्रुहन के घर और उसके घर के बीच केवल एक मिट्टी की दीवार है, और उनके घर के दोनों ओर दीवार के स्थित हैं। उसने यह भी स्वीकार किया कि उसके घर में घुसने के बाद, प्रत्यर्थी पहले उसकी चारपाई पर बैठा और उसके बाद उसने लैंगिक संभोग किया।

(8) शत्रुहन (आ.सा. -07) पक्षद्रोही हो गया है। उसने एक अलग कहानी पेश की। उसने गवाही दी कि कला बाई (आ.सा. -2) सुबह शोर मचा रही थी। जब उसने उससे

पूछा कि वह क्यों रो रही है, तो उसने कहा कि वह अभियोक्त्री से घटना के बारे में पूछे। उसने स्पष्ट रूप से गवाही दी कि उसने अभियोक्त्री के घर के अंदर या उसके घर से भागते हुए किसी को नहीं देखा।

(9) कला बाई (आ.सा.-2) ने गवाही दी कि अभियोक्त्री का पति प्रकाश उसके पास आया और बताया कि प्रत्यर्थी ने उसे बताया था कि कोई उनके घर में घुस आया है क्योंकि वह (कला बाई) शोर मचा रही थी। इस पर उसने प्रकाश को बताया कि अयान सिंह (प्रत्यर्थी) ही उनके घर में घुसा था। कला बाई ने आगे गवाही दी कि अभियोक्त्री ने उसे बताया कि पहले तो उसने सोचा कि उसका पति नाच-गाने से लौट आया है और उसने बल्ब बंद कर दिया है, लेकिन बाद में उसे पता चला कि उनके घर में घुसने वाला व्यक्ति उसका पति नहीं, बल्कि प्रत्यर्थी था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(10) घर के अंदर से बंद दरवाजे कैसे खुल गए? जब अभियोक्त्री ने कथित तौर पर शोर मचाया तो कोई उसे बचाने क्यों नहीं आया? यहाँ तक कि पड़ोस का पड़ोसी शत्रुहन (आ.सा. -07) भी अभियोक्त्री के घर में प्रत्यर्थी की मौजूदगी नहीं देखा। हमे आगे इस बात पर भी ध्यान दिया हैं कि अभियोक्त्री को कोई चोट नहीं आई थी और महिला डॉक्टर की रिपोर्ट अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं करती। इन सभी आधारों पर, अभियोक्त्री का बयान अदालत को विश्वसनीय नहीं लगता और सत्र न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष में कोई त्रुटि नहीं दिखती कि अभियोजन पक्ष यह साबित नहीं कर सका कि प्रत्यर्थी ने अभियोक्त्री के साथ जबरन लैंगिक संभोग किया था।

(11) जहाँ तक भारतीय दंड संहिता की धारा 450 के अंतर्गत अपराध के संबंध में निष्कर्ष का संबंध है, उसे निरस्त किया जाना चाहिए। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और अभियोक्त्री के आचरण की गहन जाँच करने पर, इस मामले में उसके

सहमति पक्ष होने की संभावना से पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, जब अभियोक्त्री के सहमति पक्ष होने की संभावना के कारण भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत अपराध नहीं बनता, तो प्रत्यर्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 450 के अंतर्गत दोषी ठहराने की कोई गुंजाइश नहीं है।

(12) श्री प्रवीण दास, विद्वान उप-सरकारीशासकीय। अधिवक्ता ने तर्क दिया कि प्रत्यर्थी द्वारा भा.द.वि. की धारा 450 के तहत अपनी दोषसिद्धि को चुनौती देने के लिए कोई अपील दायर नहीं की गई है, इसलिए, उसे इस मामले में दोषमुक्त किये जाने पर विचार नहीं किया जा सकता है। हम इस तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। सीआरपीसी की धारा 377 में प्रावधान है कि राज्य सरकार उच्च न्यायालय के अलावा किसी अन्य न्यायालय द्वारा किये जा रहे विचारण में दोषसिद्धि के किसी भी मामले में सरकारी अभियोजक को इसकी अपर्याप्तता के आधार पर सजा के खिलाफ अपील पेश करने का निर्देश दे सकती है। धारा 377 की उपधारा (3) में आगे प्रावधान है कि जब सजा के खिलाफ इसकी अपर्याप्तता के आधार पर अपील दायर की गई है, तो अपीलीय न्यायालय अभियुक्त को ऐसी वृद्धि के खिलाफ कारण बताने का उचित अवसर देने के बाद ही सजा में वृद्धि करेगा और कारण बताते समय, अभियुक्त अपनी दोषमुक्त किये जाने या सजा में कमी करने की दलील देगा।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(13) उपरोक्त कारणों से, हमें राज्य द्वारा दायर अपीलों में कोई सार नहीं दिखता। ये अपीलें खारिज किए जाने योग्य हैं और एतद्द्वारा खारिज की जाती हैं। तथापि, हम प्रत्यर्थी के भारतीय दंड संहिता की धारा 450 के तहत दोषमुक्त किए जाने के दावे को स्वीकार करते हैं और निर्देश देते हैं कि भारतीय दंड संहिता की धारा 450 के तहत

उसकी दोषसिद्धि और दी गई सजा को रद्द किया जाए। प्रत्यर्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 450 के तहत लगाए गए आरोपों से भी दोषमुक्त किया जाता है।

सही/- सही/-

मुख्य न्यायाधीश **श्री सुनील कुमार सिन्हा**

न्यायधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरण : हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया हैं ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किये जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी ।

Translated By Ms. Durga Mehar Adv.